उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-5

संख्या-78/2018/1698/1-5-2018-72/2017

लखनऊः 23 नवम्बर, 2018

अधिसूचना

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 37 सन् 1956) की धारा 13 और उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 6 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6 की उप-धारा 2 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल विद्यमान इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद का नाम, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज के रूप में परिवर्तित करते हैं।

2- राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Rajasva Anubhag-5

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-78/2018/1698 /1-5-2018-72/2017 dated November 23, 2018

Notification
No.- 78/2018/1698 /1-5-2018-72/2017
Lucknow, dated 23 November, 2018

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 6 of the Uttar Pradesh Revenue Code,2006 (U.P. Act no.8 of 2012) read with section 13 of the States Reorganisation Act,1956 (Act no.37of 1956) and section 6 of the Uttar Pradesh State Reorganisation Act,2000 (Act no.29 of 2000) the Governor is pleased to alter the name of the existing Allahabad division, Allahabad as the Prayagraj division, Prayagraj.

2- The Governor is further pleased to direct that nothing in this notification shall affect any legal proceeding already commenced or pending in any court of law.

By order,

SURESH CHANDRA
Pramukh sachiv.

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।